तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की ता[illegible] में जारी हुए
8/6/16	पत्रावली न्याय आपके द्वार केम्प देसूरी पेश हुई। साक्ष्य प्रतिवादी को बार 2 अवसर दिये जाने पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन/मनन करने पर पाया की वाद बटवारा का है। इस पर तहसीलदार देसूरी को माफिक वाद पत्र मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार चाही गयी। तहसीलदार देसूरी ने पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शा० मि० की जाकर। हमने मौके अनुसार बंटवारा [illegible] करके पाया कि पक्षकारान का वाद अन्तिम डिक्री की जाना उचित प्रतीत होती है। अतः अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि माफिक बटवारा अनुसार दावा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावली बहुदी लगान का सात प्रतिशत राशि वसूल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली दस्ती कटर फैसलशुदा बाद तकमील जाब्ता रेकॉर्ड अंदर जमा हो। SDO उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 149ए/2011

वादीगण :–

1. स्व. प्रतापीबाई पत्नि किशनलाल

के कायम मुकाम :–

1/1 भंवरलाल पुत्र किशनलाल

1/2 गणेशलाल पुत्र किशनलाल

1/3 सोहनलाल पुत्र किशनलाल

जाति–गुर्जर, निवासी–चारभुजा (गढ़बोर) तहसील–कुभलगढ़, जिला–राजसमंद (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गणपतसिंह पुत्र रावतसिंह
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह
3. दिलीपसिंह पुत्र रावतसिंह
4. विरेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह

   जातियान–राजपूत,निवासी–देसूरी तहसील–देसूरी, जिला–पाली
5. लक्ष्मी पत्नि गणेशलाल

   जाति–गुर्जर, निवासी–चारभुजा (गढ़बोर) तहसील–कुभलगढ़, जिला–राजसमंद (राजस्थान)
6. तहसीलदार, देसूरी

   तहसील–देसूरी, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.22.11.2011**

उपस्थितः– 1. श्री सुधीर श्रीमाली, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री महेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 08/06/2016**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा–देसूरी, पटवार हल्का–देसूरी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 2506 रकबा 0–14 हेक्टर, खसरा नम्बर 2507 रकबा 0–58 हेक्टर, खसरा नम्बर 2508 रकबा 2–62 हेक्टर, खसरा नम्बर 2510 रकबा 0–35 हेक्टर, खसरा नम्बर 2511 रकबा 0–99 हेक्टर, खसरा नम्बर 2514 रकबा 0–52 हेक्टर, खसरा नम्बर 2515 रकबा 0–92 हेक्टर, खसरा नम्बर 2516 रकबा 0–41 हेक्टर, कुल किता–8 कुल रकबा 6–53 हेक्टर की कृषि भूमि किस्म चाही प्रथम, जाव अव्व, लगान 199.10 रूपये की आई हुई हैं। जिसे वाद–पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया हैं। वादीनी का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का विद्यमान हैं। वादीनी ने वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख 19/05/2007 के खरीद कर, कब्जा प्राप्त किया था। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादगीण संख्या 1 से 4 तथा उसके भाई नरपतसिंह का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का विद्यमान था। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक ने अपने खातेदारी व कब्जासुदा के 1/5 हिस्से में से 5/8वां हिस्सा अर्थात् कुल आराजी का 5/40वां हिस्सा वादीनी को बेचान कर, कब्जा सुपुर्द किया था। वादीनी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 19/05/2007 को प्रत्येक प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 से 5/40वां हिस्सा अर्थात् कुल आराजी का 20/40वां हिस्सा यानि 1/2 हिस्सा में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1403 दिनांक 30/05/2007 को वादीनी का नाम बहैसियत खातेदार के दर्ज हुआ एवं वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा उत्तर–पश्चिमी दिशा की तरफ पर वादीनी का खरीद के समय से कब्जा काश्त विद्यमान बहैसियत

ण्ड अधिकारी

खातेदारी के विद्यमान हैं। वादीनी ने सुधारात्मक व विकसित कार्य करवाये। वादग्रस्त आराजी को उपजाऊ व विकसित बना कर, अच्छी उवरक शक्ति प्रदान की। वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से (पश्चिमी दिशा, उत्तरी दिशा में) वादीनी ने काफी व्यय कर, बाउण्डरी वॉल का भी निर्माण कर व एक कमरे का भी निर्माण करवाया हैं। वादीनी वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्से का वक्त खरीद से लगाय आज तक उपयोग / उपभोग करती आ रही हैं। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक ने अपने हिस्से 1/5वों में से 5/8वां हिस्सा अर्थात् 5/40वां हिस्सा कुल का 1/2 हिस्सा बेचान वादीनी को किया था। जिससे वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 3/10वां हिस्सा शेष रहा। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के भाई नरपतसिंह ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त का 1/5वां हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 30/04/2008 को प्रतिवादीनी संख्या 5 को विक्रय कर कब्जा वादीनी के हिस्से के पास सट्टे ही पूर्व दिशा में सुपुर्द किया था। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने 3/40वां हिस्से में से 2/3 हिस्सा अर्थात् कुल वादग्रस्त आराजी का 1/20वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 को जरिये विक्रय विलेख दिनांक 07/06/2008 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया। जिससे वादग्रस्त आराजी का 1/5वां हिस्सा तथा 1/20वां हिस्सा अर्थात् 5/20वां हिस्सा प्रतिवादीनी संख्या 5 की खातेदारी व आधिपत्य का विद्यमान हैं। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में वादीनी का 1/2 हिस्सा खातेदारी का व कब्जा काश्त का एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 से 3 का 9/40वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/40वां हिस्सा तथा प्रतिवादीनी संख्या 5 का 1/5वां - 1/20वां = 5/20वां हिस्सा खातेदारी व आधिपत्य का विद्यमान हैं। वादीनी की खातेदारी व कब्जा काश्त सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के (पश्चिमी दिशा का हिस्सा) पर तत्पश्चात् प्रतिवादीनी संख्या 5 का वादीनी के सट्टे ही एवं शेष पूर्वी हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कब्जा काश्त विद्यमान हैं। वादीनी वादग्रस्त आराजी में विद्यमान अपनी खातेदारी व आधिपत्य के हिस्से (1/2 हिस्से) को पृथक करवाकर पृथक राजस्व रेकर्ड कायम करवाना चाहती हैं। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा होने पर सभी पक्षकारान् अपने-अपने हिस्से का उपयोग / उपभोग पृथक लगान व पृथक राजस्व रिकॉर्ड कायम करवा सकेगें। वादीनी अत्यन्त ही वृद्ध महिला हैं। जिससे वादीनी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा कर पृथक राजस्व रिकॉर्ड, पृथक लगान कायम करवाने हेतु निवेदन किया। लेकिन प्रतिवादीगण टालम-टोली कर आना-कानी कर रहे हैं। जिस पर वादीनी ने अन्त में आज से करीब 15-20 दिनों पूर्व भी निवेदन किया। लेकिन प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं एवं इसके विपरीत वादीनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने हेतु तत्पर हैं। जिससे प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा के रोकना अतिआवश्यक हैं। जिस पर वादीनी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के मजबुरन धारा 53, 188, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 6 राजस्थान सरकार भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार औपचारिक रूप से बनाया हैं। जिसके विरूद्ध वाद-पत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं। जिससे वाद-पत्र के पूर्व विधिक नोटिस प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं हैं। जिसके बावजूद धारा 80(2) सीपीसी के विधिक नोटिस छूट हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र पृथकतः पेश किया हैं, जो प्रथम स्वीकार होने योग्य हैं। वादीनी का वाद हेतुक विरूद्ध प्रतिवादीगण के वादग्रस्त आराजी में वादीनी का 1/2 हिस्सा खातेदारी व कब्जासुदा विद्यमान होने के बावजूद तथा वादीनी बार-बार निवेदन किये जाने के बावजूद अन्तः वादीनी द्वारा आज से करीब 15-20 दिनों पूर्व भी प्रतिवादीगण से निवेदन करने के बावजूद बंटवाड़ा पृथक राजस्व

अधिकारी
(सार्नी)

रिकॉर्ड व पृथक लगान कायम करने हेतु निवेदन करने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण तत्पर नहीं होने पर वाद हेतुक उत्पन्न होने से वादीनी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण धारा 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अन्दर अवधिकाल पेश किया हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादीगण ने वाद डिक्री किया जाकर वादीगण की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। पी0डब्ल्यू-1 सोहनलाल ने शहादत वादी पेश की, जिसे सामिल मिसल किया गया। वकील प्रतिवादीगण को समये दिये जाने के एवं बार-बार आवाजे दिलाये जाने पर भी शहादत प्रतिवादी पेश नहीं करने से शहादत प्रतिवादी बन्द की जाती हैं।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-देसूरी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व मौजा-देसूरी, पटवार हल्का-देसूरी, तहसील-देसूरी, जिला-पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 2506 रकबा 0-14 हेक्टर, खसरा नम्बर 2507 रकबा 0-58 हेक्टर, खसरा नम्बर 2508 रकबा 2-62 हेक्टर, खसरा नम्बर 2510 रकबा 0-35 हेक्टर, खसरा नम्बर 2511 रकबा 0-99 हेक्टर, खसरा नम्बर 2514 रकबा 0-52 हेक्टर, खसरा नम्बर 2515 रकबा 0-92 हेक्टर, खसरा नम्बर 2516 रकबा 0-41 हेक्टर, कुल किता-8 कुल रकबा 6-53 हेक्टर की कृषि भूमि किस्म चाही प्रथम, जाव अव्व, लगान 199.10 रुपये की भूमि स्थित हैं। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। तहसीलदार, देसूरी ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रुबरु उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 08/06/2016 को ही पेश किया, सामिल मिसल किया गया। वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-देसूरी, पटवार हल्का-देसूरी, तहसील-देसूरी, जिला-पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 2506 रकबा 0-14 हेक्टर, खसरा नम्बर 2507 रकबा 0-58 हेक्टर, खसरा नम्बर 2508 रकबा 2-62 हेक्टर, खसरा नम्बर 2510 रकबा 0-35 हेक्टर, खसरा नम्बर 2511 रकबा 0-99 हेक्टर, खसरा नम्बर 2514 रकबा 0-52 हेक्टर, खसरा नम्बर 2515 रकबा 0-92 हेक्टर, खसरा नम्बर 2516 रकबा 0-41 हेक्टर, कुल किता-8 कुल रकबा 6-53 हेक्टर की कृषि भूमि किस्म चाही प्रथम, जाव अव्व, लगान 199.10 रुपये का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	किस्म	लगान
1	गणपतसिंह पुत्र रावतसिंह कौम-रावत सा0 देह खातेदार।	2515 2516/1 2511/2	0-4600 0-0097 0-0200	चा0प्र0 जा0अ0 चा0प्र0	15.80 रु0
	योग	3	0-4897		15.80 रु0

अधिकारी

2	राजेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह कौम–राजपूत सा० देह खातेदार।	2515/1 2516/2 2511/1	0-4600 0-0097 0-0200	चा०प्र० जा०अ० चा०प्र०	15.80 रू०
	योग	**3**	**0-4897**		**15.80 रू०**
3	दिलीपसिंह पुत्र रावतसिंह कौम–राजपूत सा० देह खातेदार।	2511/4 2514/1	0-2356 0-2541	चा०प्र० चा०प्र०	13.80 रू०
	योग	**2**	**0-4897**		**13.80 रू०**
4	विरेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह कौम–राजपूत सा० देह खातेदार।	2508/1 2511/3	0-1433 0-0200	चा०प्र० जा०अ०	3.83 रू०
	योग	**2**	**0-1633**		**3.83 रू०**
5	लक्ष्मी पत्नि गणेशलाल, भंवरलाल गणेशलाल सोहनलाल पि० किशनलाल कौम–गुर्जर सा० गढ़बोर तहसील–कुभलगढ़ जिला–राजसंमद	2506 2507 2508 2510 2511 2514 2516	0-1400 0-5800 2-4767 0-3500 0-6944 0-2659 0-3906	जा०अ० जा०अ० जा०अ० चा०प्र० जा०अ० चा०प्र० चा०प्र०	149.85 रू०
	योग	**7**	**4-8976**		**149.85 रू.**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार देसूरी को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी देसूरी
जिला–पाली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 08/06/2016 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–देसूरी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी देसूरी
जिला–पाली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– देसूरी

बईजलास :– श्री पर्वतसिंह चुड़ावत, आर0ए0एस0

वादीगण :–

1. स्व. प्रतापीबाई पत्नि किशनलाल के कायम मुकाम :–
1/1 भंवरलाल पुत्र किशनलाल
1/2 गणेशलाल पुत्र किशनलाल
1/3 सोहनलाल पुत्र किशनलाल
जाति–गुर्जर, निवासी–चारभुजा (गढ़बोर) तहसील–कुभलगढ़, जिला–राजसमंद (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गणपतसिंह पुत्र रावतसिंह
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह
3. दिलीपसिंह पुत्र रावतसिंह
4. विरेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह
जातियान–राजपूत, निवासी–देसूरी तहसील–देसूरी, जिला–पाली
5. लक्ष्मी पत्नि गणेशलाल
जाति–गुर्जर, निवासी–चारभुजा (गढ़बोर) तहसील–कुभलगढ़, जिला–राजसमंद (राजस्थान)
6. तहसीलदार, देसूरी
तहसील–देसूरी, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 149ए/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री सुधीर श्रीमाली, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री महेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–देसूरी, पटवार हल्का–देसूरी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 2506 रकबा 0–14 हेक्टर, खसरा नम्बर 2507 रकबा 0–58 हेक्टर, खसरा नम्बर 2508 रकबा 2–62 हेक्टर, खसरा नम्बर 2510 रकबा 0–35 हेक्टर, खसरा नम्बर 2511 रकबा 0–99 हेक्टर, खसरा नम्बर 2514 रकबा 0–52 हेक्टर, खसरा नम्बर 2515 रकबा 0–92 हेक्टर, खसरा नम्बर 2516 रकबा 0–41 हेक्टर, कुल किता–8 कुल रकबा 6–53 हेक्टर की कृषि भूमि किस्म चाही प्रथम, जाव अव्व, लगान 199.10 रूपये का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	किस्म	लगान
1	गणपतसिंह पुत्र रावतसिंह कौम–रावत सा0 देह खातेदार।	2515 2516/1 2511/2	0-4600 0-0097 0-0200	चा0प्र0 जा0अ0 चा0प्र0	15.80 रू0
	योग	3	**0-4897**		**15.80 रू0**
2	राजेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	2515/1 2516/2 2511/1	0-4600 0-0097 0-0200	चा0प्र0 जा0अ0 चा0प्र0	15.80 रू0
	योग	3	**0-4897**		**15.80 रू0**
3	दिलीपसिंह पुत्र रावतसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	2511/4 2514/1	0-2356 0-2541	चा0प्र0 चा0प्र0	13.80 रू0
	योग	2	**0-4897**		**13.80 रू0**
4	विरेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	2508/1 2511/3	0-1433 0-0200	चा0प्र0 जा0अ0	3.83 रू0
	योग	2	**0-1633**		**3.83 रू0**

अधिकारी
(पाली)

5	लक्ष्मी पत्नि गणेशलाल, भंवरलाल गणेशलाल सोहनलाल पि0 किशनलाल कौम–गुर्जर सा0 गढ़बोर तहसील–कुभलगढ़ जिला–राजसंमद	2506 2507 2508 2510 2511 2514 2516	0-1400 0-5800 2-4767 0-3500 0-6944 0-2659 0-3906	जा0अ0 जा0अ0 जा0अ0 चा0प्र0 जा0अ0 चा0प्र0 चा0प्र0	149.85 रू0
	योग	7	4-8976		149.85 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार देसूरी को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28/12/2016 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।